**भारत सरकार**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1954**
**दिनांक 30 जुलाई, 2026**

## भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

†1954. **श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल के वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों को देखते हुए भारत की प्राकृतिक गैस अवसंरचना और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क, पाइपलाइन अवसंरचना और पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्टिविटी के विस्तार में हुई प्रगति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अशोधित तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सीजीडी अवसंरचना को गति देने और अंतिम छोर तक पीएनजी कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कोई वित्तीय या नीतिगत सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पूरे देश में किफायती, विश्वसनीय और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या रूपरेखा बनाई गई है?

**उत्तर**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री सुरेश गोपी)**

(क) से (ङ) सरकार ने प्राकृतिक गैस अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात और पुनर्गैसीकरण अवसंरचना की स्थापना, राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार और नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का विस्तार शामिल है।

इसके अलावा, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और आपूर्ति से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए, भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति में काफ़ी विविधता लाई है। एलएनजी सोर्सिंग का विस्तार 6 देशों से बढ़कर 15 देशों तक हो गया है। इस विविधीकरण ने किसी विशेष देश, क्षेत्र या पारगमन मार्ग पर निर्भरता को कम कर दिया है और आपूर्ति व्यवधानों और बाजार की अस्थिरता का प्रबंधन करने की भारत की क्षमता को बढ़ाया है। सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ मिलकर, वैश्विक आपूर्ति की स्थितियों का लगातार आकलन करती है और एलएनजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाती है।

मध्य पूर्व संकट से निपटने के लिए, सरकार ने प्राकृतिक गैस के उत्पादन, आवंटन और वितरण को विनियमित करने और इसकी समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 09.03.2026 को प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 को भी अधिसूचित किया। इस आदेश ने पीएनजी (घरेलू) (विगत छह महीनों के दौरान औसत खपत का 100%), सीएनजी (परिवहन), एलपीजी उत्पादन और उर्वरक सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस के आवंटन में प्राथमिकता दी, जिससे आवश्यक सेवाओं, ऊर्जा सुरक्षा और लोक कल्याण की निरंतरता

सुनिश्चित हुई। उक्त उपाय  अस्थायी प्रकृति के थे और आपूर्ति की स्थिति में सुधार को देखते हुए, दिनांक 04.07.2026 की अधिसूचना द्वारा वापस ले लिए गए थे।

पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन प्रदान करना और संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशनों की स्थापना करना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का निर्माण शामिल है और परिवहन क्षेत्र को सीएनजी की आपूर्ति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 31.05.2026 की स्थिति के अनुसार, राज्य-वार सीजीडी प्रगति का ब्यौरा अनुलग्नक में है।

सीजीडी नेटवर्क को विकसित करने के लिए पीएनजीआरबी और अनुमोदित कार्य कार्यक्रम के प्राधिकार के अनुसार प्राधिकृत कम्पनियों द्वारा निवेश किया जाता है। सीजीडी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत या आवंटित नहीं की जाती है।

सरकार ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी के माध्यम से देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा व्यय को कम करने के उद्देश्य से घरेलू कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए व्यापक नीति, विनियामक और राजकोषीय उपायों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें,अन्य बातों के साथ-साथ, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम के माध्यम से विधायी परिवर्तन, देश के अपतटीय क्षेत्रों में नो-गो प्रतिबंधों को हटाना, उत्पादन साझाकरण संविदाओं (पीएससी) से राजस्व हिस्सेदारी अनुबंध (आरएससी) में परिवर्तन, भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण और प्रसंस्करण में बड़े पैमाने पर निवेश, बेधित अन्वेषणात्मक कूपों की संख्या में वृद्धि आदि शामिल हैं। पिछले दशक के दौरान 3.5 लाख वर्ग किमी से अधिक अन्वेषण एकड़ प्रदान किए गए हैं।

सरकार ने भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक एक विशेष प्रयोजन कंपनी के माध्यम से अल्पकालिक आपूर्ति आघातों के लिए बफर के रूप में कार्य करने के लिए कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) सुविधाएं भी स्थापित की हैं। चरण-I के तहत, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 3 स्थानों पर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल की कुल क्षमता के साथ एसपीआर स्थापित किए गए हैं। जुलाई 2021 में, सरकार ने एसपीआर कार्यक्रम के चरण-II के तहत ओडिशा और कर्नाटक में 6.5 एमएमटी की कुल भंडारण क्षमता के साथ दो अतिरिक्त वाणिज्यिक सह-कार्यनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व सुविधाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी थी।

प्राकृतिक गैस अवसंरचना को सुदृढ़ करने के अलावा, सरकार ने भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने और वहनीय, विश्वसनीय और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें संपीडित प्राकृतिक गैस (परिवहन)/पाइप्ड प्राकृतिक गैस (घरेलू) सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) को प्राथमिकता के आधार पर घरेलू गैस का आवंटन, उच्च दबाव/उच्च तापमान वाले क्षेत्रों, गहरे पानी और अति गहरे जलीय क्षेत्रों और कोयला सीमों से उत्पादित गैस के लिए अधिकतम मूल्य के साथ विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता की अनुमति देना, संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) को बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन की दिशा में सतत विकल्प (एसएटीएटी) पहल आदि शामिल हैं।

सरकार ने देश भर में पाइपलाइन बुनियादी अवसंरचना, विशेष रूप से सीजीडी के समयबद्ध विस्तार की सुविधा के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 24.03.2026 को एक व्यापक नियंत्रण आदेश अधिसूचित किया है। यह आदेश सख्त समयसीमा को अनिवार्य करके, देरी के मामले में डीम्ड अनुमोदन को सक्षम करके और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनधिकृत शुल्क लगाने पर रोक लगाकर मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) और अनुमतियां प्रदान करने के लिए एक समान ढांचा प्रदान करता है। यह गैर-भेदभावपूर्ण और समयबद्ध अनुमतियां सुनिश्चित करके आवासीय और निजी क्षेत्रों में पहुंच के मुद्दों का भी समाधान करती है, जिससे पाइपलाइन बिछाने में प्रमुख बाधाओं को दूर किया जा सके।

*****

**अनुलग्नक**

**'भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण' के संबंध में दिनांक 30.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1954 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।**

| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | पीएनजी (डी) कनेक्शन | सीएनजी स्टेशन (संख्या) |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 298111 | 242 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 |
| असम | 78455 | 46 |
| बिहार | 329808 | 251 |
| चंडीगढ़ | 34175 | 10 |
| छत्तीसगढ | 20845 | 73 |
| दादरा और नगर हवेली | 15194 | 6 |
| दमन और दीव | 5868 | 6 |
| दिल्ली | 1960727 | 458 |
| गोवा | 20455 | 15 |
| गुजरात | 3908499 | 1108 |
| हरियाणा | 603123 | 608 |
| हिमाचल प्रदेश | 14359 | 26 |
| झारखंड | 196415 | 159 |
| कर्नाटक | 611203 | 520 |
| केरल | 159687 | 254 |
| मध्य प्रदेश | 336953 | 428 |
| महाराष्ट्र | 4742692 | 1324 |
| मणिपुर | 0 | 0 |
| मेघालय | 0 | 4 |
| मिजोरम | 0 | 0 |
| नगालैंड | 0 | 0 |
| ओडिशा | 190551 | 159 |
| पुदुचेरी | 121 | 15 |
| पंजाब | 143031 | 307 |
| राजस्थान | 544070 | 499 |
| सिक्किम | 0 | 0 |
| तमिलनाडु | 140756 | 506 |
| तेलंगाना | 264701 | 246 |
| त्रिपुरा | 71344 | 30 |
| जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश | 0 | 3 |
| केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख | 0 | 0 |
| उत्तर प्रदेश | 2306333 | 1375 |
| उत्तराखंड | 95496 | 57 |
| पश्चिम बंगाल | 162123 | 245 |
| **कुल** | **17255095** | **8980** |

*( स्रोत : पीएनजीआरबी)*